

संख्या 02552/2024-2025

प्रासप-9
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 05/03/2025



**सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)**

नवीनीकरण संख्या: R/BEH/16929/2024-2025

पञ्चायती संख्या: F-40621

दिनांक: 2014-2015

प्रमाणित किया जाता है कि राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी, मो0 नई बस्ती अकबरपुरा, पोस्ट लक्ष्मीयार, जिला-बहराइच, 80001, बहराइच, 271801 को दि0 नव0 नवीनीकरण प्रमाण पत्र संख्या 1370/2014-2015 दिनांक-26/12/2014 को दिनांक-26/12/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1150 अवधि की नवीनीकरण पीक अवधि रूप में प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(LAXMI KANT)

A5E595EE580BF288EE169E8D4DFA0A93ABC6F3D3

Date: 26/03/2025 5:04:41 PM, Location: Ayodhya.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-05/03/2025

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में जारी किया जा रहा है जो संस्था के अन्वयाधिपतिवर्ग पञ्जीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदन, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध संस्था/व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार, अनुदान अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में जारी किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।


<http://uprfsc.gov.in/ferrate/chat/licesne.aspx>


1/36/2025

संख्या

6839

पत्रावली संख्या F-40621

दिनांक

26/12/14



**सोसाइटी – रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण – पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)**

संख्या – 1370/2014-2015

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि

राजेश कुमार गौड़ पब्लिक एजुकेशनल

सोसाइटी।

मो० नई बस्ती अकबरपुरा पो० तह० व जिला-बहराइच।

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन

अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र

25/12/2019

तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक

26/12/2014

को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

